A 3/5

राजस्व रेफरेन्स आवेदन पत्र/279/2011/सरकार बनाम मजना

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2021	प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री पुरुषोतम सोलंकी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित। अधिवक्तगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा गोलिया कला के खसरा नंबर 4 में से रकबा 20 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। हमने अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा गोलिया कला के खसरा नंबर 4 में से रकबा 20 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा गोलिया कला में अवस्थित भूमि खसरा नं. 4 रकबा 1596-16 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये है। संवत 2012-2031 की जमाबंदी बन्दोस्त में उक्त भूमि गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज है। तहसीलदार गुडामालानी ने इस संबध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। यह माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.1968 को ग्राम गोलिया कला के खसरा नं. 4 में रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है। आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया।	

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.01.06 12:25:40 IST
Reason: SelfAttested